न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

CMS NO.-2024/00150

मिसल नम्बर– 14/2024

1. मधुसुदन पुत्र स्व0 श्री गोपाल लाल बैरागी
2. बालकिशन पुत्र स्व0 श्री गोपाल लाल बैरागी
3. दीनदयाल पुत्र स्व0 श्री गोपाल लाल बैरागी
4. कौशल वैश्णव पुत्र स्व0 श्री परमानन्द बैरागी
5. संदीप वैश्णव पुत्र स्व0 श्री परमानन्द बैरागी
6. अनिल कुमार पुत्र स्व0 श्री परमानन्द बैरागी
7. मीना कुमारी पुत्री स्व0 श्री परमानन्द बैरागी
8. टीना कुमारी वैश्णव पुत्री स्व0 श्री परमानन्द बैरागी
9. कमला बाई पत्नी स्व0 श्री परमानन्द बैरागी
   निवासीगण– कुन्हाडी कोटा (राज0)

..........वादीगण।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा कोटा।

..........प्रतिवादी।

–:निर्णयः–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक 3/12/25

वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि –

ग्राम कुन्हाडी, पटवार हल्का सकतपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नं0 602/82 की रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नं0 81 की 0.002 हेक्टर, खसरा नं0 82 की रकबा 3.78 हैक्टर, खसरा नं० 83 की रकबा 0.02 हेक्टर कुल किता 4 की कुल रकबा 3.90 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के अनुसार मंदिर श्री ठाकुरजी रघुनाथ जी विराजमान व मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है।

सवंत् 2009 से 2013 तक लगातार एवं सम्वत 2016 से 2024 सेटलमेन्ट जमबान्दी के अनुसार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि माफी श्री ठाकुर जी रघुनाथ जी विराजमान व माफी लक्ष्मीनाथ जी, रामचरनदास वल्द नारायणदास कौम बैरागी के दर्ज खाते चली आ रही थी।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

दिनांक 01.07.1963 को उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को नियमानुसार मंदिर माफी से रिज्यूम हो चुकी थी तथा रामचरनदास का नाम पुजारी कृषक के रूप में रिज्यूम्पशन के समय दर्ज था।

दिनांक 14.01.1964 को खातेदार कृषक श्री रामचरनदास की मृत्यु हो गई इसके पश्चात रामचरनदास के पुत्र श्री गोपाललाल द्वारा न्यायालय जागीर कलेक्टर कोटा के समक्ष एक वाद बाबत् खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि बाबत प्रस्तुत किया जो दिनांक 22.01.1966 को उचित कार्यवाही हेतु परगना अधिकारी कोटा को प्रेषित किया गया जो न्यायालय परगना अधिकारी कोटा में मिसल संख्या 1 सींगा आवेदन प० मर० 24.01.1967 पर दर्ज किया गया तथा तत्कालीन न्यायालय परगना अधिकारी कोटा द्वारा उपरोक्त वाद पत्र पर सम्यक रूप से तामील के पश्चात तथा साक्ष्य लेने के पश्चात गुणावगुण पर वाद का निर्णय करते हुये दिनांक 16.04. 1967 को वादी का वाद स्वीकार फरमाते हुये आदेश पारित किया कि "वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम कुन्हाडी के खसरा नं0 48 व 49 व 67 की रकबा 25 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर वादी श्री गोपाल लाल वल्द श्री रामचरनदास को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इस प्रकार श्री गोपाललाल को उपरोक्त वाद वर्णित कृषि भूमि का तन्हा खातेदार घोषित कर दिया गया तथा उक्त आदेश की पालना में नामान्तरण संख्या 19 द्वारा गोपाललाल का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद फरमा दिया गया। इसके पश्चात् से खातेदार श्री गोपाल लाल राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदार एवं कृषि भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है।

राजस्व विभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के खसरा नं0 49 के नये खसरा नं0 81 तथा खसरा नं0 48 के नये खसरा नं0 82 व 83 व 82/469 मुर्तिब किये गये।

भू प्रबन्ध विभाग द्वारा विधि विरूद्ध जाकर त्रुटिवश खातेदार गोपाललाल पुत्र रामचरनदास के साथ मंदिर श्री ठाकुरजी रघुनाथ जी एवं लक्ष्मीनाथ जी का नाम सेटलमेन्ट पर्चे में अंकित कर दिया जबकि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मंदिर माफी से रिज्यूम्पशन होकर खालसा हो चुकी थी तथा खुदकाश्त के आधार पर परगना अधिकारी द्वारा डिक्री किये गये वाद पर पारित निर्णय दिनांक 15.04.1967 की पालना में गोपाललाल के तन्हा खातेदारी मे दर्ज हो चुकी थी तथा वादीगण मृतक श्री गोपाललाल के विधिक वारिसान है। उक्त डिक्री की प्रतिवादी द्वारा किसी भी न्यायालय में अपील प्रस्तुत नही की गई तथा उक्त डिकी अन्तिम है तथा पूर्ण रूप से प्रभावी है। इस कारण भू प्रबन्ध विभाग को राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नही था।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

सेटलमेन्ट विभाग द्वारा त्रुटिवश उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे मंदिर श्री ठाकुर रघुनाथ जी व मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी का नाम दर्ज कर दिया है जो संशोधित किया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र हर प्रकार से उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा त्रुटिवश उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के रिकार्ड मे मंदिर श्री रघुनाथ जी व मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी का नाम दर्ज कर दिया है जिसे संशोधित किया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार लाडपुरा की रिपोर्ट अनुसार :–

ग्राम कुन्हाडी के वर्तमान ख.सं. 81 रकबा 0.02, ख.सं. 82 रकबा 3.78, ख. सं. 83 रकबा 0.02, ख.स. 602/82 रकबा 0.08 किता 4 रकबा 3.90 है0 जमाबंदी अनुसार मंदिर श्री ठाकुर जी रघुनाथ जी विराजमान देह व मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी के नाम दर्ज रिकोर्ड है। संवत् 2022–25 मे खसरा संख्या 109 मे मंदिर श्री रघुनाथ जी व माफी श्री लक्ष्मीनारायण जी विराजमान देह रिज्युम दिनांक 1/07/1963 पुजारी व कृषक रामचरन दास वल्द नारायणदास कौम बैरागी साकिन देह खाते दर्ज रिकोर्ड थी जिसमे खसरा संख्या 48, 49 रकबा 25 बीघा 01 बिस्वा दर्ज रिकोर्ड थी नामान्तकरण संख्या 19 निर्णय दिनांक 24.11.1967 से श्रीमान परगना अधिकारी जी कि आज्ञा क्रमांक 235/67 दिनांक 28.04.1967 की पालना मे खोला गया श्रीमान खेतपाल सिंह परगना अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 15.04.1967 की मिसल नं. 1 सींगा आवेदन पत्र 24.01.1967 मुकदमे श्री गोपाल लाल आत्मज रामचरनदास बैरागी बनाम सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा मे वादी का वाद स्वीकार कर खसरा संख्या 48, 49 रकबा 25 बीघा 1 बिस्वा गोपाल लाल वल्द रामचरण दास को खातेदार कृषक घोषित किये जाने से ग्राम कुन्हाडी के इन्तकाल नं. 19 से पालना मे नामान्तकरण कर दिया जिसका संवत् 2026–29 मे खाता सं. 32 मे गोपाल लाल वल्द रामचरन दास कौम बैरागी साकिन देह दर्ज थी। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल अनुसार 48 मि., 49 मि., 83/0.02, 48 मि., 49 मि. 82/3.89, 49 मि. 81/0.02 , 82/469/0.22 किता 4 रकबा 4.15 है0 मंदिर श्री ठाकुर जी रघुनाथ जी विराजमान देह व मंदिर लक्ष्मीनारायण जी खातेदार पुजारी गोपाललाल पुत्र रामचरण दास जाति बैरागी साकिन देह दर्ज रिकोर्ड कर की गयी।

तहसीलदार लाडपुरा की रिपोर्ट उपरांत राज्य सरकार द्वारा मंदिर माफी के सन्दर्भ मे जारी विभिन्न परिपत्रों से मार्गदर्शन प्राप्त किया :–

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

E-mail ✉ sdokot-kot-rj@nic.in ☎ 0744.232587

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के दिनांक 13.12.1991 के परिपत्रानुसार :–

यह प्रश्न बार–बार उठाया जाता है कि जिन मंदिरों की निजी भूमि है उनके संबंध मे देवमूर्ति के नाम के साथ पुजारी या शेवायत के नाम का इन्द्राज राजस्व रिकोर्ड (जमाबंदी) मे होना चाहिए अथवा अलग से इस प्रयोजन हेतु बनाये गये किसी अन्य रिकोर्ड मे देवमूर्ति एक शाश्वत अवयस्क है तथा देव मूर्ति की भूमि पर पुजारी या अन्य किसी की खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। इस बिन्दु का विधि विभाग से भी परीक्षण कराया गया तथा विधि विभाग ने इस पर उपरोक्त राय से सहमति व्यक्त की है।

जमाबंदी अभिलेख रिकोर्ड ऑफ राइटस अर्थात रिकोर्ड ऑफ टेनेन्सी राइटस है जिसकी प्रविष्टि से कृषकों के काश्तकारी अधिकार की अवधारणा प्रतिपादित होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत जमाबंदी मे केवल काश्तकारी कानून मे कृषक के अधिकार ही दर्ज किये जाते है। मंदिर का पुजारी कौन होगा, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जावेगी तथा उसकी मृत्यु पर उत्पन्न उत्तराधिकार आदि के विवाद का किस प्रकार होगा। यह पूर्णतया दीवानी मामले है जो केवल दीवानी न्याायलय के कार्यक्षेत्र मे आते है तथा वही इन्हे तय करने मे सक्षम है। इनका संबंध न तो राजस्व रिकोर्ड से है और न ही यह राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्षेत्र मे है।

राजस्व अधिकारियों द्वारा भू–राजस्व की वसूली इत्यादि कार्यवाही की सुविधा के हिसाब से पुजारी का नाम भी देव मूर्ति के नाम के साथ जमाबंदी मे लिखने की परम्परा चली आ रही है जबकि सही स्थिति यह है कि पुजारी या शेवायत का नाम जमाबंदी मे अंकित नही होना चाहिए। जमाबंदी मे ऐसे इन्द्रांज का गत वर्षो मे काफी दुरूपयोग किया गया है देवमूर्ति की भूमि खातेदारी कई पुजारियों ने अवैध रूप से अपने नाम दर्ज कर ली है। तथा पुजारियों द्वारा हजारों अवैध हस्तान्तरण/बेचान हुये है। जिससे अनावश्यक मुकदमे बाजी बढी है ऐसे अवैध हस्तारणों/बेचानों को निरस्त करने हेतु अनगिनत "रेफरेन्स" दिये गये है व लिये जा रहे है।

पुजारी या शेवायत का सेवा पूजा का यदि कोई अधिकार है तो वह एक दीवानी अधिकार है। जिसका संबंध दीवानी न्यायालय से है कानूनों अथवा काश्ताकरों के अधिकारों से उनका कोई संबंध नही है। रिकोर्ड मे खातेदार के साथ पुजारी या शिवायत का नाम लिखा जाने का कोई प्रावधान नही है। अतः देवमूर्ति के हितों की सुरक्षा तथा देवमूर्ति की भूमि के संबंध मे अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि:–

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

(1) भविष्य मे जो जमाबंदी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जावे उनमे देवमूर्ति के साथ पुजारी व शिवायत का नाम नही लिखा जावे।

(2) प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध मे तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मा मे अलग से रखा जावे। जिसमे जिन मंदिरों के पास कृशि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जावे।

(3) जो जमाबंदी बन चुकी है तथा वर्तमान मे प्रभाव है उनमे देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे तथा उपर वर्णित रजिस्टर मे लिखा जावे। इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबंदी के रिकोर्ड के कॉलम मे अंकित किया जावे।

यह निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होगे। तथा ये निर्देशों की पालना दिनांक 31.01.1992 तक आवश्यक की जानी चाहिए।

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के दिनांक 24.05.2007 के परिपत्रानुसार :–

1. राज्य सरकार द्वारा परिपत्र वि० 13.12.91 की निरन्तरता में स्पष्ट किया जाता है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क है। अतः इसकी खातेदारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है। बलदेव बनाम मूर्ति मंदिर श्री कृष्ण जी महाराज आर.आर.डी 1994 में निर्णित किया गया है कि मंदिर में पुजारी कौन होगा व उसके उत्तराधिकार के सबंध में विवाद दीवानी न्यायालयों द्वारा ही तय किया जा सकता है। मंदिर मूर्ति के खाते में पुजारी या सेवायत का नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका काफी दुरुपयोग होता है। राजस्व रिकार्ड में पुजारी अथवा सेवायत का नाम दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। मूर्ति के हितों की सुरक्षा तथा देवमूर्ति की भूमि के सबंध में अनावश्यक मुकदमें बाजी को रोकने के लिए परिपत्र दि० 13.12.91 में निम्न निर्देश दिये गये थे:–

(क) भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जाये उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या सिवायत का नाम नहीं लिखा जाये।

(ख) प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर सलंग्न प्रोफार्मों में अलग से रखा जावे जिसमें जिन मंदिरों के पास कृ षि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अकंन किया जाये।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

(ग) जो जमाबंदी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभावशील है उनमे देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहा पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जायें तथा उपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जाये। इस बाबत स्पष्ट नोट जमांबदी के रिमार्क के कॉलम में अकिंत किया जावे।

2. जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मंदिर के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी। उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होगे। मंदिर मूर्ति निरन्तर अवयस्क है। यह किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी, सेवादार, आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इनके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होगे। ऐसे प्रकरणों जिनमें मंदिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है उनमें निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही की जाये।

3. मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में भी दी गयी थी तथा राज० भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1962 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दि० 13.12.91 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मंदिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है।

4 ऐसी भूमि के सबंध में जो मंदिर माफी की थी के संबंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेगें। धारा 9 निम्न प्रकार है :–

"जागीर भूमियो में खातेदारी अधिकार– जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार पट्टेदार खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पुर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।"

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

5. जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिरो के नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।

6. वर्तमान में इस विषय में क्रम संख्या 5 पर अकिंत प्रकरणों में जहां विभिन्न राजस्व न्यायालयों में जो प्रकरण लंबित है तथा राजस्व बोर्ड के समक्ष जो सदंर्भ (reference) लंबित है। उन प्रकरणों में सबंधित अधिकृत अधिकारी उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप विधिक स्थिति से अवगत कराते हुए उन प्रकरणों/संदर्भों को निस्तारण करायेंगें।

❖ राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के दिनांक 25.11.2011 के परिपत्रानुसार :–

रियासतकालीन भू–धारको (लेण्ड होल्डर) द्वारा मंदिरों की सेवा–पूजा व पुजारियों/ सेवायतों के जीवनयापन हेतु मूर्ति मंदिरों की कृषि भूमियां माफी में दी गयी। ऐसी भूमियों का माफी मूर्ति मंदिर के साथ–साथ अहतमाम पुजारी/सेवायतों के नामों का भी राजस्व रिकार्ड में अंकन किया। पुजारियों/सेवायतो ने कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के प्रावधानों अंतर्गत अपने नाम अवैध रूप से खातेदारी दर्ज कराकर मूर्ति मंदिर की भूमि माफी का हस्तान्तरण कर उन्हें खुर्द–बुर्द करना प्रारम्भ कर दिया। ऐसी स्थिति में देवमूर्ति के हितों की सुरक्षा तथा इसके संबंध में अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकने के लिए भू–प्रबंध आयुक्त व समस्त जिला कलेक्टर्स को संबोधित पत्र क्रमाक प.2(4)राज–4/98/37 दिनांक 31–12–1991 को जारी किया गया। जिसमें निम्न प्रकार कार्यवाही करने के निर्देश प्रसारित किये –

1. भविष्य में जो जमाबंदी राजस्व विभाग या बंदोबस्त विभाग द्वारा बनाई जावे उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या सेवायत का नाम नहीं लिखा जाये।

2. प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के सबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मा में अलग से रखा जाये। जिसमे जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियो के नाम का अंकन किया जावे।

3 जो जमाबंदी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभाव में है उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जाये तथा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

ऊपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जाये। इस बाबत् स्पष्ट नोट जमाबंदी के रिकार्ड के कॉलम अंकित किया जावे।

यह पत्र जिस भावना से जारी किया वह तो ठीक थी परन्तु भू-प्रबंध अधिकारियों/ राजस्व अधिकारियों ने मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि में साथ लिखे पुजारी/सेवायतो के नाम हटाने के साथ-साथ उन कृषकों के खातेदारी अंकनो को भी विलोपित कर दिया जिनको राजस्थान भूमि सुधार एव जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैद्य रूप से खातेदारी अधिकार प्राभूत हुये थे। यह कार्यवाही कानूनी रूप से गलत तथा पत्र दिनांक 31-12-91 की मंशा के विरूद्ध की गयी थी। इस प्रकार पत्र दिनाक 31-12-91 की मंशा के विपरीत वैद्य काश्तकारों का खातेदारी अंकन विलोपित करना कानून संगत नहीं था।

मूर्ति मंदिर की भूमियों के संबंध में कानूनी स्थिति निम्न प्रकार है:-

(अ) राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के अनुलग्न अनुसूची प्रथम के क्रम संख्या 15 पर माफी को जागीर की श्रेणी में माना है अतः सभी माफी मे प्रदत्त भूमियों पर राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के प्रावधान अक्षरशः लागू होते है।

(ब) राजस्थान् भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के किसी भी प्रावधानों में अवयस्क की माफी को पुनर्ग्रहित (rusumption) करने पर कोई रोक नहीं है। इसलिये अवयस्क की माफी अर्थात मूर्ति मंदिर की माफी भूमि भी राजस्थान भूमि सुधार थ जागीर पुनः ग्रहण अधिनियम 1952 के तहत पुर्नग्रहित (resume) की जाना थी।

(स) राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनःग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अनुसार जो निम्न है:-

"जागीर भूमियो में खातेदारी अधिकार- जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार पट्टेदार खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पुर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।" उक्त प्रावधान के अनुसार अर्हता रखने वाले मूर्तिमाफी के काश्तकार को पुर्नःग्रहण की दिनांक से कानूनी रूप से खातेदारी अधिकार प्रोदयूत हो गये।

(द) राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नःग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 10 के अनुसार माफीदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(23) में यथा परिभाषित खुद काश्त भूमि पर माफीदार अर्थात मूर्ति मंदिर को जो शाश्वत

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

अवयस्क विधिक पुरूष है, खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हो गये। इस प्रकार खातेदारी अधिकार प्राप्त भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 में वर्णित अवयस्क की निर्योग्यता (disability) के प्रावधान लागू होते है। जिसके कारण कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत उप.कृषक को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते।

इस समस्या के निराकरण हेतु राजस्व विभाग के उक्त पत्र दिनांक 31–12–91 की निरन्तरता में परिपत्र क्रमांक 3 (2) राज–6/07/14 दिनांक 24–5–07 जारी किया। इसके बिन्दु संख्या 3 के अनुसार जिन कृषको को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये परन्तु मूर्ति मंदिर की माफी (जागीर) भूमि मानकर दायर रेफरेंस केस लंबित है, उनका इस परिपत्र के अनुसार निस्तारण होने से निराकरण हो जाता है।

परन्तु उन मामलों मे जो बिना विधिक प्रकिया अपनाये अर्थात रेफरेंस दायर किये बिना ही पत्र दिनांक 31.12.91 की पालना मे राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नःग्रहण अधिनियम 1952 की धारा के अंतर्गत रूप से खातेदारी प्राप्त कृषकों की खातेदारी विलोपित कर दी है, उनके समस्या निराकरण किये जाने का परिपत्र दिनांक 24–05–07 में कोई स्पष्ट प्रावधान नही है।

अतः परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–6/07/14 दिनांक 24–5–07 की निरन्तरता में आगे स्पष्ट किया जाता है कि जहां राजस्व विभाग के पत्र प.2(4) राज–4/98/37 दिनांक 31–12–91 की पालना में पूर्ववर्ती राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में काश्तकारों की अंकित खातेदारी अंकन को बिना किसी रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर पारित विधिक आदेश के विलोपित कर दिया है ऐसे मामले राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में रिकार्ड दुरुस्ती के प्रावधानों वो अंतर्गत निर्णित किये जाने चाहिये। क्योंकि ऐसे मामलो जिनमें बिना किसी विधिक आदेश के खातेदारी अंकन का रिकार्ड तैयारी के समय विलोपन कर दिया हो, उन्हें पत्र दिनांक 31–12–91 की गलत व्याख्या के तहत की गयी लिपिकीय भूल ही माना जायेगा और ये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अंकन दुरूस्त करने की श्रेणी में आते है अतः ऐसे मामलों में प्रभावित काश्तकारों से धारा 136 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र विधिवत दायर कराकर रिकार्ड दुरूस्ती की कार्यवाही की जावे। जहां ऐसे प्रकरण बहुतायत में हैं वहां कैम्प लगाकर प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर प्रभावित कृषकों को राहत प्रदान की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

यहां यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि यह परिपत्र उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनमें किसी विधिक आदेश से कृषक की खातेदारी, विलोपित करके भूमि मूर्ति मंदिर की खातेदारी में दर्ज की गई हो।

❖ राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के दिनांक 18.09.2019 के परिपत्रानुसार :–

राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनःग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के निम्न प्रकार से है:–

"जागीर भूमियो में खातेदारी अधिकार– जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार पट्टेदार खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पुर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।"

इस प्रावधान के अनुसार काश्तकारों को जागीर भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त है। कई मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप मे दी गई थी। इस अधिनियम के प्रभावी होने पर जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ–साथ इस प्रावधान के अनुसार काश्तकारों को मंदिर माफी की भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये गए है। इसके बावजूद कुछ प्रकरणों मे ऐसी भूमियों पर भी राजस्व मण्डल मे रेफरेंस दायर किये गए अथवा खातेदारी भूमि सिवायचक घोषित कर दी गई। यह उचित नही है। जैसा कि पूर्व मे निर्देशित किया गया, इस प्रकार की भूमि पर दायर निगरानी वापस ली जाए व यदि बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाए इस प्रकार की भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई है तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 की अन्तर्गत सक्षम न्यायालय मे प्रार्थना पत्र दायर कर रिकोर्ड दुरूस्ती की कार्यवाही की जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत किसी मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर पुजारी को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है।

❖ राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के दिनांक 18.09.2019 के परिपत्रानुसार :–

उक्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अन्तर्गत मंदिर माफी/देवमूर्ति की भूमियों के लिए भविश्य मे जमाबंदी मे पुजारी या सेवायत का नाम नही लिखने तथा तहसील स्तर पर प्रोफार्मा के अनुसार रजिस्टर रखने तथा बन चुकी जमाबंदी मे से

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

देवमूर्ति के के साथ अंकित पुजारी का नाम हटाकर कर उपर वर्णित रजिस्टर मे लिखे जाने के निर्देश जारी किये गये थे। इनका संभावित उद्देश्य यह था कि मंदिर भूमि का विधि विरूद्ध रूप मे रहने या विक्रय न हो सके। इस आधार पर राजस्व रिकोर्ड मे जमाबंदी से पुजारियों के नाम हटाऐ गये।

उक्त परिपत्र मे दिये गये निर्देशों की सही क्रियान्विति नही करने या गलत व्याख्या करने के कारण मंदिर माफी की भूमियों के संबंध मे समस्याए राज्य सरकार के ध्यान मे लाई है। अतः राज्य सरकार के ध्यान मे लाई गई समस्यों के निराकरण हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है:-

1. पूर्व परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की पालना मे जमाबंदी मे मूर्ति मंदिर के साथ पुजारी का नाम विलापित करने के साथ यदि पृथक से इस हेतु संधारित रजिस्टर मे उसका अंकन नही किया गया हो तो दिनाक 13.12.91 को जमाबन्दी में अंकित पुजारी/सेवायत का नाम इस हेतु पूर्व निर्देशित पृथक रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाये।
2. राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत खातेदार पट्टेदार खादिमदार के रूप में पुजारियों को मिली खातेदारी वाले पुजारी जिनका गलत रूप में विलोपन कर दिया गया है और जिन्हे पुनः खातेदारी दी जा सकती है। इस संबंध में पूर्व में राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के उपरान्त दिनांक 24.5.2007 व परिपत्र दिनांक 25.11.2011 को जारी परिपत्र में इन्हे खातेदारी दिये जाने हेतु निर्देश व स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है. जिनका प्रकरणवार विधिक परीक्षण कर सही पाये जाने पर खातेदार बन चुके पुजारियो के नाम जमाबन्दी के खातेदार के कॉलम में अंकित किए जाने की यथोचित कार्यवाही की जाए।
3. परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के प्रावधानुसार मंदिर की भूमियों हेतु पृथक पंजिका बना कर उसमें पुजारियों के नाम दर्ज किये जावे, उसको पारदर्शी एवं नियमित रूप से अद्यतन रखने हेत पंजिका को ऑनलाईन कम्प्यूटराईज्ड रूप में एल.आर. सी. पर जमाबंदी से लिंक किये जाने की कार्यवाही की जाये। मंदिर से संबंधित खाते की जमाबन्दी की नकल के साथ आवश्यक रूप से पुजारी का यह प्रपत्र अपने समुचित प्राधिकार के साथ जारी/प्रदान किया जाएगा।
4. मंदिर भूमि हेतु परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में निम्नानुसार अनुमत/प्राधिकृत होंगे:-

   - मंदिर, भूमि के विकास के लिए संबधित विभाग के नियमानुसार विद्युत, पेयजल, ट्यूबवेल आदि के लिए कनेक्शन हेतु।
   - फसल खराबे की स्थिति में नियमानुसार सहायता अनुदान हेतु।
   - कृषि विभाग की योजना अनुसार भूमि सीमा में पात्र होने पर बीज, कृषि उपादान आदि पर नियमानुसार अनुदान प्राप्त कने हेतु।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

- इसी प्रकार राज्य सरकार की अन्य योजनाओं, जिसमें भूमि रहन न होती हो, उसमें उन्हे यथा प्रावधान लाभ दिया जा सकेगा।
- मंदिर के नाम बैंक खाता होने पर इसका संचालक एवं उपयोगकर्ता पुजारी को बनाया जा सकेगा। इसमें प्रत्येक पुजारी बहैसियत मंदिर के संरक्षक के रूप में नियमानुसार योजनांतर्गत लाभ हेतु अनुमत/प्राधिकृत होगा।

5. मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्तिमंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तद्नुसार प्रभावी निस्तारण करेगें।

❖ राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के दिनांक 11.06.2020 के परिपत्रानुसार

भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिनियम 1984 ("1984 अधिनियम") एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुर्नवास और पुर्नस्थापन अधिनियम 2013 ("2013 अधिनियम") के तहत मंदिर माफी के नाम से दर्ज भूमियों के संबंध में कतिपय जिला कलक्टरर्स द्वारा मुआवजा किस के खाते में जमा कराया जाये अथवा किसको दिये जाये, इस बाबत मागदर्शन चाहा जाता रहा है।

2. राजस्थान सरकार द्वारा भूमि सुधार प्रयोजन से वर्ष 1952 में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 (1952 अधिनियम) पारित किया गया, जो दिनांक 16.02.1952 से प्रभावशील है।

3. राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने का प्रावधान है, जो निम्नानुसार है:–

"जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार का जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्णअन्तरण के अधिकार प्राप्त है दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसे भूमि के सम्बंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।"

4. इसी प्रकार उक्त 1952 अधिनियम की धारा 10 में खुदकाश्त भूमि पर खातेदार माने जाने का प्रावधान है:–

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

"खुदकाश्त भूमि में खातेदारी अधिकार: किसी जागीर भूमि के पुर्नग्रहण होने की तारीख से किसी जागीरदार की कोई खुदकाश्त भूमि जागीरदार द्वारा एक खातेदार काश्तकार के रूप में धारित की गई समझी जायेगी, और उस गाँव की दर पर उसके संबंध में निर्धारण किया जावेगा।"

5. उक्त 1952 अधिनियम की अनुसूची प्रथम में क्रम सं. 15 पर माफी भूमि को "जागीर श्रेणी" में माना गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि उक्त 1952 अधिनियम के लागू होने की दिनांक को तत्समय के राजस्व अभिलेख में यदि किसी खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अंतर्निहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्णअन्तरण के अधिकार प्राप्त है दर्ज है, तो उसे ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसे भूमि के सम्बंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।

6. मन्दिर माफी भूमि की कई प्रकार की श्रेणियां संभव हैं। <u>प्रथम श्रेणी</u> : मन्दिर माफी की वह भूमि जिसके संबंध में 1952 अधिनियम के लागू होने के समय के राजस्व अभिलेख में यदि वह भूमि मन्दिर मूर्ति के खुदकाश्त के नाम दर्ज थी, तो ऐसी भूमि में खातेदारी अधिकार मन्दिर मुर्ति में निहित होते है। माननीय उच्च न्यायालय की वृहद् पीठ द्वारा तारा के प्रकरण (डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 185/2001 तारा व अन्य बनाम राज्य व इत्यादि) में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 में यह अभिनिर्धारित किया है कि मंदिर मूर्ति स्वयं काश्त करने में सक्षम नहीं होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रयोजन से शाश्वत अव्यस्क नही है। इस निर्णय मे माननीय न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि मंदिर मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क मान भी लिया जावे तो भी भूमि मंदिर मूर्ति निरंतर धारित नही कर सकती है; मंदिर मूर्ति की भूमि शेवायत/पुजारी से भिन्न व्यक्ति को काश्त हेतु दिये जाने की स्थिति में उस कृषक को 1952 अधिनियम की धारा 9 के अनुसार खातेदारी के अधिकार प्राप्त होते है। मंदिर के पुजारी/शेवायत या ट्रस्ट की प्रास्थिति "केयरटेकर मैनेजर" की होती है; उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है।

अतः ऐसे प्रथम श्रेणी के प्रकरणों में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी भूमि के संबंध में 1984 अधिनियम एवं 2013 अधिनियम के तहत पुजारी/ट्रस्ट "केयरटेकर मैनेजर" की हैसियत से किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार के प्रकरणों में मुआवजा निर्धारण प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा क्रमांक प.6 (1) प्र.सु./अनु–3/2015 दिनांक 19.01.2015 (संलग्नक–1) के अनुसार संबंधित विभाग में जमा किया जाता रहेगा।

7. द्वितीय श्रेणी : जागीर पुर्नग्रहण होने पर 1952 अधिनियम लागू होने के समय के अभिलेख अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि उस काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्णअन्तरण के अधिकार प्राप्त है तो वह 1952 के अधिनियम की

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

धारा 9 के अनुसार विधिक रूप से (valid) खातेदार काश्तकार है। यदि (i) अवाप्ति के समय के भू–अभिलेख और (ii) 1952 अधिनियम की धारा 9 के अनुसार पात्र विधिक खातेदार में अन्तर है, तो ऐसी स्थिति में 1952 अधिनियम की धारा 9 अभिभावी (prevail) होगी; एवं इस श्रेणी के प्रकरणों में इस विभाग के परिपत्र कमांक प. 3(2) राज–6/2017/पार्ट/101 जयपुर, दिनांक 18.09.2019 (संलग्नक–2), परिपत्र कमांक प०3(2) राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09. 2018 (संलग्नक–3), परिपत्र कमांक प० 3 (2) राज–6/2007/19 जयपुर दिनांक 25.11.2011 (संलग्नक–4) व परिपत्र कमांक प० 3(2) राज–6/2007/14 जयपुर, दिनांक 24.05.2007 (संलग्नक–5) के तहत रिकार्ड दुरूस्ती की जानी वांछित होगी एवं रिकार्ड दुरस्ती के पश्चात भूमि आवाप्ति अधिनियम 1984 एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुर्नवास और पुर्नस्थापन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी। लेकिन यदि 1952 अधिनियम की धारा 9 के अनुसार पात्र खातेदार की बिना उत्तराधिकारी/वारिस/वैध अंतरिती की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 (1) (प) के अनुसार खातेदारी समाप्त होकर यह भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाती है।

8. जैसा कि संलग्नक–4 एवं संलग्नक 5 में स्पष्ट है कि, मंदिर माफी के कई प्रकरणों में 1952 अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के विपरीत भू–प्रबंध संक्रिया के दौरान खातेदारी का गलत इन्द्राज जागीर अधिनियम के विपरीत दर्ज किया गया है, या अनुचित रूप से रेफरेन्स दायर कर जागीर अधिनियम के विपरीत गलत रूप से खातेदारी का अंकन किया गया है या बाद में संस्था या ट्रस्ट का गठन कर इस प्रकार की संस्था के नाम खातेदारी अधिकारों का अंकन कर दिया गया है। इस तरह के प्रकरणों में ऐसे व्यक्ति/संस्था/ट्रस्ट इस विभाग के परिपत्र कमांक प. 3(2) राज–6/2017/पार्ट /101 जयपुर, दिनांक 18. 09.2019 (संलग्नक–2) के अनुसार किसी प्रकार का खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पात्र नहीं है, एवं इस कारण से वे भूमि आवाप्ति अधिनियम 1984 एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुर्नवास और पुर्नस्थापन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी भी नही है।

9. मंदिर माफी के प्रकरणों में उक्तानुसार भूमि आवाप्ति के समय भू अभिलेख की प्रास्थिति का राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के लागू होने की दिनांक को तत्समय भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि से परीक्षण प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है; ऐसे सभी प्रकरणों में खातेदारी अधिकार निर्धारण हेतु 1952 अधिनियम के प्रावधान अभिभावी (prevail) करेंगें। बाद के भू अभिलेखों में दर्ज की गई गलत इन्द्राज, अनुचित रेफरेन्स, अवैध बेचान व गलत भू प्रबंध संक्रिया के कारण दर्ज व्यक्ति के आधार पर खातेदारी अधिकार/मुआवजा निर्धारण किया जाना उचित नहीं होगा।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

10. अतः उपरोक्त स्पष्टीकरण एवं संलग्न परिपत्रों के अनुसार भूमि आवाप्ति अधिनियमों के तहत राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अनुसार परीक्षण कर पात्रता रखने वाले वैध खातेदार काश्तकार (valid Khatedar tenant) तय कर मुआवजा निर्धारण के प्रकरण निस्तारित कराया जाना सुनिश्चित करावे।

- उक्त परिपपत्रों के अतिरिक्त राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।
- धारा 136 के अनुसार –*"भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय त्रुटि को या अधिकारों के अभिलेख या रजिस्टर में की गई किसी त्रुटि को, जिसे हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करते हैं, या जिसे राजस्व अधिकारी किसी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करता है, विहित रीति से ठीक कर सकता है या ठीक करवा सकता है।*
  परन्तु जब राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी अधिकार अभिलेख में कोई त्रुटि पाई जाती है तो तब तक कोई त्रुटि ठीक नहीं की जाएगी जब तक कि पक्षकारों को कारण बताओ नोटिस न दे दिया गया हो।"

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया।

पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट है कि –

1. खसरा किश्तवार ग्राम कुन्हाडी जागीर संवत् 2009 से 2012 के अनुसार प्रश्नगत आराजी मंदिर श्री लक्ष्मीनाथ जी विराजमान व मंदिर श्री रघुनाथ जी विराजमान खुदकाश्त पुजारी श्री रामचरण दास के नाम दर्ज रिकोड थी।

2. जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 के अनुसार प्रश्नगत आराजी माफी श्री रघुनाथ जी व माफी श्री लक्ष्मीनाथ जी विराजमान, रिज्यूम्ड दिनांक 01.07.1963, पुजारी व कृषक रामचरण दास वल्द नारायण दास दर्ज रिकोर्ड थी।

   जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 पर नामान्तकरण संख्या 19 से रामचरण दास के बजाय खातेदारी श्री गोपालदास पुत्र श्री रामचरणदास की खातेदारी घोषित की। आदेश तहसील 24.11.1967 का नोट अंकित है।

3. पत्रावली मे संलग्न न्यायालय परगना अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 15.04.1967 द्वारा माफी रिज्युम हो जाने के पश्चात हस्तगत आराजी पर गोपाल लाल वल्द रामचरण दास को खातेदार कृषक घोषित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

4. परगना अधिकारी कोटा के आदेश दिनांक 15.04.1967 की पालना मे इन्तकाल न. 19 दर्ज किया गया तथा प्रश्नगत आराजी गोपाल लाल पुत्र श्री रामचरण दास की खातेदारी मे दर्ज की गई।

5. जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 के अनुसार हस्तगत आराजी गोपाल लाल पुत्र रामचरण दास के नाम दर्ज रिकोर्ड थी।

6. जमाबंदी संवत 2039 से 2042 के अनुसार हस्तगत आराजी खातेदार गोपाल लाल पुत्र रामचरण दास के नाम दर्ज रिकोर्ड थी।

7. दौराने भू प्रबंध जमाबंदी संवत 2038– 57 मे उक्त आराजी पुनः मंदिर श्री ठाकुर जी रघुनाथ जी विराजमान व मंदिर लक्ष्मीनाथ जी खातेदार पुजारी गोपाललाल पुत्र रामचरण दास के नाम दर्ज कर दी गई।

❖ उक्त तथ्यों के अवलोकन से प्रमाणित है कि प्रश्नगत आराजी संवत् 2009 से 2012 मे मंदिर माफी खुदकाश्त पुजारी के नाम दर्ज रिकोर्ड थी। जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम लागू होने के उपरांत दिनांक 01.07.1963 को उक्त माफी रिज्युम हो गई तथा माफी रिज्युम होने के उपरांत हस्तगत आराजी पुजारी की खातेदारी मे दर्ज हुई। तथा न्यायालय परगना अधिकारी मे निर्णय दिनांक 15.04.1967 द्वारा हस्तगत आराजी गोपाल लाल पुत्र श्री रामचरण दास के नाम दर्ज हुई जो सवंत् 2039– 2042 तक खातेदार गोपाल लाल पुत्र श्री रामचरण दास के नाम ही दर्ज रही। दौराने सेटलमेंट भू–प्रबंध विभाग द्वारा हस्तगत आराजी पुनः मंदिर के नाम दर्ज कर दी गई है।

❖ राज्य सरकार द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 25.11.2011 से स्पष्ट किया गया है कि "पूववर्ती राजस्व रिकोर्ड (जमाबंदी) मे काश्तकारों की अंकित खातेदारी अंकन को बिना किसी रेफरेंस प्रार्थना पत्र पारित विधिक आदेश के विलापित कर दिया है तो ऐसे मामले राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 मे रिकोर्ड दुरूस्ती के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णित किये जाने चाहिए।

❖ 18.09.2019 के परिपत्र मे राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि – " इस प्रावधान के अनुसार काश्तकारों को जागीर भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त है। कई मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप मे दी गई थी। इस अधिनियम के प्रभावी होने पर जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ–साथ इस प्रावधान के अनुसार काश्तकारों को मंदिर माफी की भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये गए है। इसके बावजूद कुछ प्रकरणों मे ऐसी भूमियों पर भी राजस्व मण्डल मे रेफरेंस दायर किये गए अथवा खातेदारी भूमि सिवायचक घोषित कर दी गई। यह उचित नही है। जैसा कि पूर्व मे निर्देषित किया गया, इस प्रकार की भूमि पर दायर निगरानी वापस ली जाए व यदि बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाए इस प्रकार की भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई है तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 की अन्तर्गत सक्षम न्यायालय मे प्रार्थना पत्र दायर कर रिकोर्ड दुरूस्ती की कार्यवाही की जाए।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

- उक्त परिपत्रों के सन्दर्भ मे हस्तगत प्रकरण का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नगत आराजी पुजारी की खुदकाश्त आराजी थी जो जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम लागू होने के उपरांत अधिनियम की अनुसूची प्रथम के अनुसार जागीर भूमि होने से धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार रिज्युम होकर पुजारी की खातेदारी मे दर्ज हुई। परगना अधिकारी कोटा द्वारा उक्त परिस्थितियों मे अपने निर्णय दिनांक 15.04.1967 द्वारा पुजारी के नाम दर्ज करने का ओदश दिया गया। तथा तब से जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 तक भूमि पुजारी के खाते दर्ज रिकोर्ड रही। इसकेक उपरांत भू–प्रबंध विभाग द्वारा हस्तगत आराजी को बिना किसी अधिकारिता के पुनः मंदिर के खातेदर्ज कर दिया गया।
- तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने प्रत्युतर मे उक्त तथ्यों को स्वीकार किया गया है । अतः भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.11.2011 व दिनांक 18.09.2019 मे प्रदत्त निर्देशों के क्रम मे हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायाचित पाते है।
- अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि ग्राम कुन्हाडी तह0 लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 602/82, 81, 82,83 कुल किता 4 रकबा 3.90 है0 पर भू प्रबंध विभाग द्वारा नियम विरूद्व दर्ज किये इन्द्राज के स्थान शुद्ध कर प्रार्थीगण का नाम खातेदार के रूप मे राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज किया जावे।
- पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

3/12/25

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, कोटा
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * कोटा *